प्रेस नोट- थाना रोजा

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक 02-08-2026

थाना रोजा पुलिस एवं एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा टप्पेबाजी करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह का सफल अनावरण, 03 अभियुक्त गिरफ्तार, ₹84,000/- नगद, चोरी के आभूषण (अनुमानित कीमत लगभग 05 से 07 लाख रु0), अवैध तमंचा-कारतूस, घटना में प्रयुक्त चारपहिया वाहन व मोटरसाइकिल सहित अन्य सामान बरामद

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय,जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार,श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में,क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक थाना रोजा के नेतृत्व में चलाए जा रहे चिन्हित अपराधियों की गिरफ्तारी,वांछित/वारंटी/जिलाबदर अपराधियों की तलाश,अवैध शराब,शस्त्र,अफीम एवं चरस के निर्माण/बिक्री की रोकथाम तथा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग/गश्त अभियान के क्रम में थाना रोजा पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 28.07.2026 को थाना रोजा पर वादिनी श्रीमती गीता देवी पत्नी मुकेश सिंह निवासी ग्राम गुर्री, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर की लिखित तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 342/2026, धारा 303(2), 318(4), 351(3) बीएनएस बनाम 02 अज्ञात व्यक्तियों एवं वाइस्तवाह रेनू पत्नी अजयपाल निवासी फकरगंज, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। तहरीर के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा वादिनी के घर में "साया" होने की बात कहकर रेनू के साथ वादिनी के घर आकर वादिनी के मुंह के सामने एक रूमाल झाड़ दिया, जिससे वादिनी की स्मरण शक्ति प्रभावित हो गई। इसके उपरांत वादिनी की अलमारी से सोने के दो हार, तीन पेंडल, एक मांगटीका, दो जोड़ी झाले, कान की बाली, एक जोड़ी कुंडल, एक सूई-धागा, तीन अंगूठियां, दो झुमकी, पांच जोड़ी पायल, दो चांदी की जेवरी, एक हाथफूल, एक कमर बिछुवा सहित अन्य आभूषण चोरी कर ले गए तथा जान से मारने की धमकी दी। साथ ही वादिनी द्वारा रेनू के उक्त व्यक्तियों से मिलीभगत होने का संदेह व्यक्त किया गया।

उक्त अभियोग की घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना रोजा पुलिस एवं एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम, शांति व्यवस्था ड्यूटी, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं गश्त के दौरान क्षेत्र में भ्रमणशील थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 28.07.2026 को ग्राम फकरगंज में टप्पेबाजी की घटना कारित करने वाला गिरोह पुनः किसी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से जनपद शाहजहाँपुर आया है तथा इस समय इटोरिया नहर से ग्राम नेकनामपुर की ओर से आ रहा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना रोजा पुलिस एवं एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 02.08.2026 को समय 13:38 बजे इटोरिया नहर से ग्राम नेकनामपुर जाने वाले मार्ग पर एनएच-30 से लगभग 600 मीटर पूर्व नहर किनारे से अभियुक्तगण 1. मो0 कलीम पुत्र मो० सलीम निवासी पटेलनगर, कस्बा बछरावा, थाना बछरावा, जनपद रायबरेली, उम्र करीब 28 वर्ष, 2. मो० ईसराईल पुत्र मो० इकबाल निवासी उपरोक्त, उम्र करीब 25 वर्ष तथा 3. आरिफ अली पुत्र मोहम्मद रफी वारसी निवासी उपरोक्त, उम्र करीब 27 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तगण के कब्जे से एक अदद नाजायज तमंचा .315 बोर, 02 जिंदा कारतूस .315 बोर, चोरी किए गए पीली एवं सफेद धातु के आभूषण, जिनमें एक जोड़ी कान के झाले, एक पेंडल, एक मांगटीका, दो अंगूठियां, तीन जोड़ी टॉप्स, एक जोड़ी हाथफूल तथा तीन जोड़ी पायल, घटना में प्रयुक्त चारपहिया वाहन XUV-500 W8, एक अपाचे मोटरसाइकिल संख्या UP33CA5132, चोरी के आभूषण बेचकर प्राप्त धनराशि में से शेष ₹84,000/- नगद, एक धूपबत्ती का डिब्बा, एक तोलने वाला कांटा, दो लाइनदार रजिस्टर, 05 स्मार्टफोन, 03 कीपैड मोबाइल फोन एवं 03 टैबलेट बरामद किए गए।

अभियुक्तगण से हुई बरामदगी एवं साक्ष्यों के आधार पर उनका नाम प्रकाश में लाते हुए अभियोग में धारा 317(2)/111 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई। अभियुक्तगण के विरुद्ध गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1.मो0 कलीम पुत्र मो0 सलीम निवासी पटेलनगर कस्बा बछरावा थाना बछरावा जिला रायबरेली (उम्र करीब 28 वर्ष)
2.मो0 ईसराईल पुत्र मो0 इकबाल निवासी पटेलनगर कस्बा बछरावा थाना बछरावा जिला रायबरेली (उम्र करीब 25 वर्ष)
3.आरिफ अली पुत्र मोहम्मद रफी वारसी नि0 पटेलनगर कस्बा बछरावा थाना बछरावा जिला रायबरेली (उम्र करीब 27 वर्ष)

फरार अभियुक्त:-

मोहर्रम अली नि0गण पटेल नगर कस्बा बचरावा, थाना बचरावा जनपद-रायबरेली

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान:-

दिनांक 02.08.2026 को समय 13.38 बजे, इटोरिया नहर से ग्राम नेकनामपुर जाने वाले रास्ते पर हाईवे एनएच 30 से लगभग 600 मीटर पहले नहर के किनारे से।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1.मु0अं0सं0 342/26 धारा 303(2)/318(4)/351(3)/317(2)/111 बीएनएस थाना रोजा शाहजहाँपुर।
2.मु0अ0सं0 351/26 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना रोजा शाहजहाँपुर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण-

1.अभियुक्त कलीम-

1.मु0अं0सं0 342/26 धारा 303(2),318(4),351(3),317(2),111 बीएनएस थाना रोजा शाहजहाँपुर।
2.मु0अ0सं0 554/25 धारा 317(2),318(4) बीएनएस थाना फूलपुर जिला आजमगढ

2.अभियुक्त ईसराइल-

1.मु0अं0सं0 342/26 धारा 303(2)/318(4)/351(3)/317(2)/111 बीएनएस थाना रोजा शाहजहाँपुर।

3.अभियुक्त आरिफ अली-

1.मु0अं0सं0 342/26 धारा 303(2),318(4),351(3),317(2),111 बीएनएस थाना रोजा शाहजहाँपुर।
2.मु0अ0सं0 351/26 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना रोजा शाहजहाँपुर।
3.मु0अ0सं0 398/19 धारा 392/411 भादवि थाना आलमबाग जनपद लखनऊ मध्य कमिश्नरेट
4.मु0अ0सं0 78/20 धारा 8/21 NDPS ACT थाना आलमबाग जनपद लखनऊ मध्य कमिश्नरेट
5.मु0अ0सं0 246/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना आलमबाग जनपद लखनऊ मध्य कमिश्नरेट

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद नाजायज तमंचा .315 बोर।
2. 02 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर।
3. चोरी किए गए पीली एवं सफेद धातु के आभूषण, जिनमें 01 जोड़ी कान के झाले, 01 पेंडल, 01 मांगटीका, 02 अंगूठियां, 03 जोड़ी टॉप्स, 01 जोड़ी हाथफूल तथा 03 जोड़ी पायल। (अनुमानित कीमत लगभग 05 से 07 लाख रु0)
4. घटना में प्रयुक्त एक चारपहिया वाहन XUV-500 W8।
5. घटना में प्रयुक्त एक अपाचे मोटरसाइकिल संख्या UP33CA5132।
6. चोरी के आभूषण बेचकर प्राप्त धनराशि में से शेष ₹84,000/- नगद।
7. एक धूपबत्ती का डिब्बा।
8. एक अदद तोलने वाला कांटा।
9. 02 अदद लाइनदार रजिस्टर।
10. 05 अदद स्मार्टफोन।
11. 03 अदद कीपैड मोबाइल फोन।
12. 03 अदद टैबलेट।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्तगण ने सामूहिक रूप से बताया कि घटना वाले दिन उन्हें दो महिलाएं मिली थीं। उसी समय मोहर्रम अपनी काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल से आया और उन महिलाओं को धर्म संबंधी बातें बताकर अपने विश्वास में ले लिया। इसके बाद हम दोनों अपनी सफेद रंग की अपाचे मोटरसाइकिल से वहाँ पहुँचे तथा उन महिलाओं से भी धर्म संबंधी बातें कीं, जिससे वे हमारे विश्वास में आ गईं और हमें पूजा-पाठ कराने के लिए अपने घर ले गईं। आरिफ उन दोनों महिलाओं के साथ ऑटो में बैठकर उनमें से एक महिला के घर गया तथा मैं अपनी अपाचे मोटरसाइकिल से उसके पीछे-पीछे घर पहुँचा। वहाँ पहुँचकर हमने धार्मिक बातें कीं तथा महिलाओं को अपनी बातों में उलझाकर उनके घर से सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। इसके बाद हम लोग वहाँ से भाग गए। चोरी किए गए जेवरात का कुछ हिस्सा हमारे पास था तथा शेष सामान मोहर्रम के पास था। मेरे पास से बरामद ₹84,000/- की धनराशि चोरी किए गए सोने-चांदी के जेवरात बेचने से प्राप्त हुई थी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. थानाध्यक्ष श्री उमेश कुमार मिश्रा, थाना रोजा, शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 श्री मोहनदेव शर्मा,SOG प्रभारी मय टीम शाहजहाँपुर।
3. उ0नि0 श्री विनित कुमार, थाना रोजा, शाहजहाँपुर
4. उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार शुक्ला,थाना रोजा,शाहजहाँपुर।
5. का0 2157 विशाल अष्टवाल थाना रोजा शाहजहाँपुर।
6. का0 2174 विपिन नैन थाना रोजा शाहजहाँपुर।
7. का0 845 अंकित कुमार थाना रोजा शाहजहाँपुर।
8. का0 2449 विकास नागर थाना रोजा शाहजहाँपुर।
9. का0 2528 दीप नागर थाना रोजा शाहजहाँपुर।
10. का0 2625 नितिन दहिया थाना रोजा शाहजहाँपुर।